"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 मई 2018 — वैशाख 11, शक 1940

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 1 मई, 2018 (वैशाख 11, 1940)

अधिसूचना

क्रमांक-4485/वि.स./विधान/2018. — छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 231 के उप नियम (3) एवं सहपठित उप नियम (5) की अपेक्षानुसार नियम समिति के प्रथम प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के अनुसार पद (छछ) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के नियम 223-क(समिति के कृत्य) एवं नियम 223-ख(समिति का गठन) के पश्चात् निम्नानुसार नवीन पद एवं नियम जन साधारण की जानकारी के लिए प्रख्यापित किये जाते हैं -

(छछछ) स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति

223-ग. (1) स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन एवं स्थानीय निधि संपरीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान सभा के समक्ष रखे जाएं, का परीक्षण करने के लिए एक स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति का गठन किया जाएगा. — समिति का गठन

(2) समिति में अधिक से अधिक नौ सदस्य होंगे, जो सभा द्वारा कुल सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जायेंगे;

परंतु कोई मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जायेगा और यदि कोई सदस्य समिति के लिए निर्वाचित होने के बाद मंत्री नियुक्त किया जाय तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा.

(3) समिति के सदस्यों की पदावधि उस वित्तीय वर्ष की होगी, जिसके लिए वह गठित की गई हो.

समिति के कृत्य

223-घ. समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे-

(1) स्थानीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन, जो विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किये गये, की जांच करना एवं स्थानीय निधि संपरीक्षा के प्रतिवेदन विधिवत् प्रस्तुत किये जा रहे हैं अथवा नहीं ? तत्संबंधी प्रतिवेदनों की भी जांच करना.

(2) शासकीय विभागों द्वारा स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों अथवा अन्य संस्थाओं को अनुदान एवं ऋण के रूप में जो धनराशि दी जाती है, उनके संबंध में यह जांच करना कि सरकारी अनुदान एवं ऋण की राशि संबंधित संस्थाओं द्वारा उन्हीं कार्यों पर व्यय की गई है, जिनके लिये वे स्वीकृत की गई थी तथा उनके उपयोग में कोई वित्तीय अनियमितताएं तो नहीं बरती गई ?

समिति के अधिकार क्षेत्र का विनिश्चय

223-ङ. यदि यह प्रश्न उपस्थित हो कि कोई विषय इस समिति के कार्य क्षेत्र में आता है अथवा नहीं ? तो यह मामला अध्यक्ष, विधान सभा को निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

हस्ता./-

(चन्द्रशेखर गंगराड़े)
सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.